डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नि0न0 — 23 / 2025

अनवान : —

1. दारासिंह पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. सन्तो पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. शारदा पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कान्ता पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. किशोरीलाल पुत्र पाली पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. करणसिंह पुत्र पाली पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. सुभाष पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. रामकुमार पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानुप्रतापसिंह बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 19/30 के खसरा सं0 145 की 8.094है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण की माता लिछमा के नाम से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 240/237 के खसरा सं0 49 की 7.5250है0 बारानी खातेदारी में लिछमा के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से स्व0 लिछमा का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 दारासिंह व वादीगण सं0 2 जगदीश व प्रतिवादी सं0 8 सुभाष, प्रतिवादी सं0 9 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मिन्वाद — 23/2025
1. दारासिंह पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा। —वादीगण

बनाम

1. सन्तो पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. शारदा पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कान्ता पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. किशोरीलाल पुत्र पातो पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. चरणसिंह पुत्र पातो पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. सुभाष पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. रामकुमार पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री भानुप्रतापसिंह बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 19/30 के खसरा सं0 145 की 8.094है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण की माता लिछमा के नाम से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 240/237 के खसरा सं0 49 की 7.5250है0 बारानी खातेदारी में लिछमा के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है। वादीगण की माता का मृत्यु प्रमाण पत्र व जमाबंदी हाल सलंग्न दावा है।

वादभूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 की माता व नानी लिछमा पत्नी केशराराम के नाम से दर्ज है। वादीगण की माता लिछमा का दिनांक 04.01.2025 को देहान्त हो गया है जिस पर दिनांक 23.01.2025 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के परिवार ने उनका षोडसी भण्डारा किया एवं उक्त वादभूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को लिछमा से विरासतन में मिली है उसकी बाबत पारिवारिक सैटलमेंट हो गया तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने लिछमा के नाम दर्ज खातेदारी में उनका जो भी हक व हिस्सा बनता था उसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 8 व 9 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। चुंकि प्रतिवादीगण गांव मुन्सरी से बाहर रहते है तथा लिछमा के देहांत पर उनके संस्कार में सभी परिवारजन एकत्र हुये है तथा भविष्य में प्रतिवादीगण भादरा नहीं आ सकेंगे। जिसके चलते उक्त वादभूमि बाबत हमने दिनांक 23.01.2025 को ही सैटलमेंट कर लिया है। रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी वादीगण की माता के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 11 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा मुन्सरी बारानी वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 19/30 के खसरा सं0 145 की 8.094है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण की माता लिछमा के नाम से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 240/237 के खसरा सं0 49 की 7.5250है0 बारानी खातेदारी में लिछमा के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। लिछमा के वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 10 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 10 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 8 व 9 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की व वादभूमि में से लिछमा का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 19/30 के खसरा सं0 145 की 8.094है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण की माता लिछमा के नाम से 1/10 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 240/237 के खसरा सं0 49 की 7.5250है0 बारानी खातेदारी में लिछमा के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से स्व0 लिछमा का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 दारासिंह व वादीगण सं0 2 जगदीश व प्रतिवादी सं0 8 सुभाष, प्रतिवादी सं0 9 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/5/2025 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भाद्रा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ